सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स : 05/2015 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO: 2015/00021

अनवान

1. श्री प्रेमशंकर पिता नानजी वड़ेरा, निवासी सैलाना, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती राजुड़ी पत्नि नानजी वड़ेरा, निवासी सैलाना, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री कुबेरा पिता नाना उर्फ नानजी कटारा भील, निवासी कुम्हारियाखेड़ा फला चितौड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर, हाल मुकाम सैलाना, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती कमला पत्नि कुबेरा कटारा भील, निवासी कुम्हारियाखेड़ा फला चितौड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर, हाल मुकाम सैलाना, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर।

— विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री मोहन जोशी, अधिवक्ता प्रार्थीगण/अपीलान्ट।
2. श्री नरेन्द्र सोनी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2

अपील प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 02-07-2018

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के प्रस्तुत किया कि मौजा सैलाना, तहसील मे स्थित आराजी संख्या 2805 रकबा 0.32हे., 2821 रकबा 0.06हे. भूमि का आवंटन एलोटमेंट कमेटी द्वारा दिनांक 29.11.1995 को विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम आवंटन नियमों एवं विधि व न्याय के सिद्धान्तो के विपरित कर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 कुम्हारियाखेड़ा फला, चितौड़ी, तहसील गिर्वा के रहने वाले हो इनके नाम कुम्हारियाखेड़ा फला, चितौड़ी मे करीब 15 बीघा से ज्यादा कृषि भूमि स्थित हैं। कथित आवंटन के पूर्व कोई विधिवत उद्घोषणा जारी किये जाने का पृष्ठांकन आवंटन प्रार्थना पत्र या आवंटन आदेश मे दर्ज नहीं किया गया हैं। आवंटन प्रार्थना पत्र पर विपक्षी संख्या 2 कमला पत्नि कुबेरा के हस्ताक्षर अथवा अंगुष्ठ निशानी मौजुद नहीं हैं। आवंटन आदेश दिनांक 29.11.1995 आवंटन सलाहकार समिति की बिना सहमति एवं स्वीकृति के पारित किया गया हैं। वक्त आवंटन कोरम भी पूर्ण नहीं था। आवंटन नियम 15 के उपनियम 3 के अनुसार आवंटन आदेश पारित होने के 15 दिवस मे आवंटी को भौतिक कब्जा सुपुर्द नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य हैं। आवंटी के नाम का

दखलनामा 6 माह से अधिक समय के पश्चात् पटवारी द्वारा बनाया गया है। विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित की गई भूमि पर आवंटन के पूर्व से प्रार्थी के पिता एवं पति का कब्जा चला आ रहा है एवं उक्त भूमि उनके खाते की भूमि से मिली हुई है। प्रार्थीगण के पिताजी का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् प्रार्थीगण ही उक्त भूमि का उपयोग एवं उपभोग कर रहे है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का मकान भी बना हुआ है। विपक्षी संख्या 1 व 2 प्रार्थी के मामा–मामी है। जो प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद उन्हे संभालने आये एवं बाद मे कब्जा कर बैठे हुए है। आवंटन नियम 20 के अनुसार पुराने कब्जे के आधार पर उक्त भूमि प्रार्थीगण को आवंटित की जानी चाहिये थी। विपक्षी स. 1 व 2 द्वारा पटवारी एवं राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर उक्त भूमि का आवंटन स्वयं के नाम पर करा लिया हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष मे किया गया आवंटन आदेश दिनांक 29.11.1995 को निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी स. 1 व 2 को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी स. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सोनी द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर जवाब हेतु समय चाहा। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश न करने से प्रकरण मे विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब बंद किया गया। तहसीलदार से विवादित आराजी पर किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गई। तहसीलदार द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1127 दिनांक 21.12.2017 से प्रेषित मौका पर्चा रिपोर्ट द्वारा न्यायालय को अवगत कराया है कि मौजा सैलाना, तहसील झाड़ोल के आराजी संख्या 2805 रकबा 0.32हे., 2821 रकबा 0.06हे. भूमि राजस्व रेकर्ड मे विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदार हक से दर्ज हैं। उक्त भूमि प्रार्थी श्री प्रेमशंकर की पुश्तैनी कृषि भूमि से लगी होकर स्थित है एवं मौके पर बीड़ घास के रूप मे उपयोग मे आ रही है। मौतबिरान के अनुसार उपरोक्त भूमि पर वादी प्रेमशंकर पिता नानजी का कब्जा होना पाया गया एवं इनके द्वारा ही मौके पर घास काटी जा रही है। मौके पर मौतबिरान अनुसार आवंटी खातेदार का कभी भी इस भूमि पर कब्जा नहीं होना बताया गया। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड़ अधिकारी से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 41/1995 तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस प्रांरभ करते हुए प्रकरण मे अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर उक्त भूमि का आवंटन कराया गया है एवं उक्त आवंटन मे आवंटन के पूर्व एवं आवंटन के पश्चात् आवंटन नियमों की पालना न करने से विपक्षी संख्या 1 व 2 को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जावें। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

2018(1)आर.एल.डब्ल्यु पृष्ठ संख्या 675

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा बहस मे भाग लते हुए स्पष्ट किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 का उक्त भूमि पर विधिवत पुराना कब्जा होने से ही उन्हे भूमि का आवंटन किया गया है। प्रार्थीगण की भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित भूमि से लगी होने से प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित भूमि को हड़पना चाहते है। प्रकरण मे किसी भी प्रकार का मिसप्रजेन्टेशन नहीं हुआ है एवं विधि अनुरूप समस्त प्रक्रिया आवंटन के वक्त अपनायी जाकर विपक्षी स. 1 व 2 के नाम आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया गया है। आवंटन के पश्चात् विधिवत कब्जा पटवारी हल्का द्वारा सुपुर्द किया गया है। यदि प्रोक्लेकमेशन नहीं हुआ होता तो आवंटन ही संभव नहीं था। आवंटन के पश्चात् विपक्षी संख्या 1 व 2 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके है तथा खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना किये जाने के उपरान्त ही प्राप्त होते है। खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14(4) की कार्यवाही मेन्टेनेबल नहीं है। अतः विपक्षी स. 1 व 2 के पक्ष मे किये गये आवंटन को बहाल रखा जाकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावें।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, विपक्षी स. 1 व 2 के जवाब, आवंटन पत्रावली, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं उसमे वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया एवं उन पर गंभीरता से मनन किया। प्रकरण मे विवाद विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित 2805 रकबा 0.32हे., 2821 रकबा 0.06हे. का है, जिस पर उभय पक्ष द्वारा अपना अपना कब्जा बताया जा रहा हैं। आवंटन पत्रावली संख्या 41/1995 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 क्रमशः कुबेरा पिता नानजी एवं कमली पत्नि कुबेरा भील की ओर से विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवेदन करने पर पटवारी हल्का व भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी स. 1 व 2 को किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर तहसीलदार, विकास अधिकारी, सरपंच आदि के हस्ताक्षर मौजुद हो उपखण्ड़ अधिकारी के हस्ताक्षर अध्यक्ष के रूप मे आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध है। आवंटन के पश्चात् कब्जा सुपुर्दगी पत्र पर पटवारी हल्का, भू.अ.निरीक्षक आवंटी एवं गवाहान के हस्ताक्षर मौजुद हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण मे विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु प्रकरण मे प्रार्थीगणारा इसकी पुष्टि हेतु न तो कोई पुरानी जमाबंदी इत्यादि की रिपोर्ट सलंग्न की है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थीगण का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा विपक्षी स. 1 व 2 को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थी के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थीगण का कब्जा साबित करती। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध मे धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। आवंटन मे किसी प्रकार का मिसप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। आवंटन के इतने लम्बे समय पश्चात् किसी भी आवंटी के आवंटन को निरस्त कर उसे भूमि से बेदखल करना हम न्यायोचित नहीं समझते है। इसके अतिरिक्त विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित भूमि पर

खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने से नियम 14(4) अंतर्गत कार्यवाही उचित प्रतीत नही होती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा मौजा सैलाना, तहसील झाड़ोल की 2805 रकबा 0.32हे., 2821 रकबा 0.06हे. भूमि पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा मिसल नम्बर 41/1995 से विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष मे किया गया आवंटन आदेश दिनांक 29.11.1995 को यथावत रखा जाता हैं। प्रार्थीगण यदि चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के अंतर्गत सक्षम न्यायालय मे चाराजोही के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर